मूंगफली तथा तिलहनों का उत्पादन

1090. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :**

श्री रामानन्द तिवारी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976–77 में मूंगफली तथा अन्य तिलहनों का कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) मूंगफली तथा अन्य तिलहनों का कितना वार्षिक उत्पादन देश में इनकी मांग पूरा करने के लिये पर्याप्त होगा ; और

(ग) यह कमी पूरी करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) 1976–77 के दौरान तिलहनों के उत्पादन के पक्के अनुमान कृषि वर्ष की समाप्ति पर अर्थात् किसी समय जुलाई–अगस्त, 1977 में उपलब्ध होने की संभावना है । इस समय उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार 1976–77 में मूंगफली और कुछ अन्य तिलहनों का उत्पादन 1975–76 में हुए रिकार्ड उत्पादन से कम होने की सूचना मिली है ।

(ख) और (ग): तिलहनों की मांग के बारे में ठीक-ठीक मात्रात्मक अनुमान लगाना कठिन है, क्योंकि यह अनेक बातों पर निर्भर करता है और इस में हर साल परिवर्तन होता रहता है । फिर भी, प्रति व्यक्ति की लगभग 4.5 किलोग्राम वार्षिक खपत के आधार पर 1976–77 में 6165 लाख की आबादी के लिए 27.7 लाख मीटरी टन खाद्य तेलों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है । देश में 1976–77 के दौरान हुआ खाद्य तेलों का वार्षिक उत्पादन इस मांग की तुलना में काफी कम है । चालू वर्ष की इस कमी को आयात द्वारा पूरा किया जा रहा है । गहन तिलहन विकास कार्यक्रम की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं, नए सिंचित क्षेत्रों में तिलहनों के विस्तार और सूरजमुखी तथा सोयाबीन आदि अपरम्परागत तिलहनों के विकास द्वारा और बिनौले निकालने तथा चावल की भूसी को अलग करने और मूल तिलहनों को छांट कर के तिलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं ।

गेहूं के लिए किसानों को उचित मूल्य

1091. **श्री मीठा लाल पटेल** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में किसानों को उन के गेहूं उत्पादन के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कोई नई योजना घोषित की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार का किसानों के लिए आवश्यक ऐसी वस्तुओं की मूल्य रेखा तथा खाद्यान्न मूल्यों के बीच एकरूपता लाने का विचार है और यदि हां, तो इस की रूपरेखा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख). किसानों को उनकी पैदावार का लाभकारी तथा उचित मूल्य दिलाने की दृष्टि से सरकार ने किसान द्वारा बिक्री के लिए पेश किए गए उचित औसत किस्म के गेहूं की सारा भाग 110 रुपये प्रति क्विंटल के मूल्य पर खरीदने का निश्चय किया है जबकी

पिछले वर्ष तक वसूली मूल्य 105 रुपये प्रति क्विंटल रहा था। गेहूं के संचलन पर लगे क्षेत्रीय प्रतिबन्ध उठा लिए गए और इस से भी किसान को उस की पैदावार का ऊंचा मूल्य मिलने की आशा है। उर्वरक जैसे आदानों से राजसहायता देकर किसानों को और राहत पहुंचाने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

(ग) यद्यपि अनाजों के वसूली मूल्य निर्धारित करते समय किसानों द्वारा खरीदी जाने वाली आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों और अनाज के मूल्यों के बीच पूरी समता बनाए रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है लेकिन मूल्यों का सामान्य स्तर, उत्पादन लागत आदि समेत कई तत्वों को ध्यान में रखा जाता है।

ओला वृष्टि के कारण फसल को क्षति

1092. **श्री मोठा लाल पटेल :**
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अप्रैल, 1977 में हुई ओला वृष्टि से फसलों को हुई अनुमानित क्षति के बारे में सरकार को कोई जानकारी प्राप्त हुई है अथवा उसने जानकारी एकत्र की है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख). पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तथा राजस्थान की सरकारों से जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

छोटे किसानों की परिभाषा

1093. **श्री मोठा लाल पटेल :**
श्री के० मालन्ना :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटे किसानों की परिभाषा में कुछ संशोधन किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन किसानों की परिभाषा करते समय किन-किन बातों को ध्यान में रखा गया है ; और

(ग) क्या इस बारे में राजस्थान की रेगिस्तानी भूमि को भी ध्यान में रखा गया है और यदि हां, तो किस प्रकार ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसियेशन द्वारा साहाय्यित ऋण परियोजनाओं तथा लघु किसान विकास एजेंसी, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम आदि जैसे विशेष कार्यक्रमों के लिए लघु किसानों की विभिन्न परिभाषाएँ अपनाई गई हैं। भारत सरकार ने हाल ही में कुछ एक राज्यों के बारे में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के सन्दर्भ में लघु किसानों की परिभाषा में संशोधन किया है।

(ख) सिंचाई का स्वरूप तथा महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादन-स्तर परिभाषा में संशोधन करने के लिए मुख्य मानदंड थे।